राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या 2043/2007..................जिला.......बाड़मेर..

उनवान महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनसुखदास खत्री,नि0–शिव(बाड़मेर)बनाम राज0 सरकार सरकार जरिये उप पंजीयक,शिव व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.09.2015	(see order below)	

<u>एकलपीठ</u>

<u>श्री ईश्वरी लाल वर्मा – सदस्य</u>

07.09.2015

निगरानीकर्ता अनुपस्थित व अप्रार्थी संख्या एक विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई उपस्थित। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निगरानीकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना–पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें निगरानीकर्ता द्वारा उप पंजीयक, शिव जिला बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना पत्र (फोटो प्रति) जिसमें यह निवेदन किया गया है कि विचाराधीन प्रकरण में कलक्टर (मुद्रांक) वृत जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2006 में विवादित राशि निगरानीकर्ता द्वारा विशेष राहत योजना के तहत जमा करा दी गई है। अतः वे अब इस प्रकरण में पैरवी करना नहीं चाहते है। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त पत्र जिसे कलक्टर (मुद्रांक)वृत जोधपुर ने अपने अ.शा.पत्र क्रमांक 7127 दिनांक 26.08.2015 द्वारा राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को प्रेषित किया है, जो कि पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें निवेदन किया है कि विचाराधीन निगरानी ड्रोप की जावे।

इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को ड्रोप करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।

फलस्वरूप निगरानीकर्ता द्वारा उपलब्ध प्रार्थना पत्र जरिये कलक्टर(मुद्रांक)वृत, जोधपुर पत्रावली पर उपलब्ध है, के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा राशी जमा करा देने के कारण, निगरानी निष्प्रभावी हो जाने के कारण हस्तगत निगरानी संख्या 2043/2007/जोधपुर खारिज की जाती है।

आदेश सुनाया गया।

7-9-2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य